न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी—जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 187/2018

वादीगण

1— बालाराम पुत्र पाबुराम उम्र 21 वर्ष
2— भीमाराम पुत्र पाबुराम उम्र 25 वर्ष
3— पुरखाराम पुत्र पाबुराम उम्र 27 वर्ष
4— ईशराराम पुत्र पाबुराम उम्र 29 वर्ष
5— वीराराम पुत्र पाबुराम उम्र 32 वर्ष
6— रावती पुत्री पाबुराम उम्र 36 वर्ष
7— अणसी पुत्र पाबुराम उम्र 34 वर्ष
8—लिला पुत्र पाबुराम उम्र 20 वर्ष जाति कुम्हार निवासी महादेव नगर (चाडो की ढाणी) व लोहिड़ा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पाबुराम पुत्र नारणाराम उम्र 58 वर्ष
2— धनाराम पुत्र नारणाराम उम्र 55 वर्ष
3— वेलाराम पुत्र नारणाराम फौत के कायम मुकाम
3/1. सोगाराम पुत्र वेलाराम उम्र 40 वर्ष
3/2. रावताराम पुत्र वेलाराम उम्र 38 वर्ष
3/3. खेताराम पुत्र वेलाराम उम्र 36 वर्ष
3/4. पोकरराम पुत्र वेलाराम उम्र 34 वर्ष
3/5. चेतनराम पुत्र वेलाराम उम्र 30 वर्ष
3/6. ताराराम पुत्र वेलाराम उम्र 25 वर्ष
3/7. अतियोदेवी पत्नी वेलाराम उम्र 65 वर्ष
4— मुलाराम पुत्र बुधाराम उम्र 52 वर्ष
5— पूराराम पुत्र निम्बाराम उम्र 40 वर्ष
6—विशनाराम पुत्र निम्बाराम उम्र 38 वर्ष
7— सुवटि पत्नी रमेश कुमार उम्र 35 वर्ष
8— ताराराम् पुत्र खूबाराम उम्र 48 वर्ष
जाति कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी
9— बाबुराम पुत्र हरजीराम जाति सुथार निवासी चाडों की ढाणी
10— शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीआई) शाखा सिणधरी
11— तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,92,188,207,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— 1. श्री नारायण कुमावत वकील वादीगण।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक— 21.01.2025

संक्षेप में वाद एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible] 2025 के तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम महादेवनगर तहसील सिणधरी की [illegible] संख्या 233/2 रकबा 1.01 बीघा भूमि वक्त बन्दोबस्त वादीगण के पितामह नारणा

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

की खातेदारी में दर्ज हुई थी तथा ग्राम ढण्ढ तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 36 व 42 कुल रकबा 37.01 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा नारणा का एवं 1/2 हिस्सा उसके भाई बुधा की था। नारणा के तीन पुत्र– वादीगण के पिता पाबूराम, धनाराम एवं वेलाराम– थे। पाबूराम के 8 पुत्र–पुत्रियां वादीगण है। इस प्रकार नारणा के बंट में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 का तथा 1/27–1/27 हिस्सा प्रत्येक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का था, किंतु नारणा के 1/3 हिस्से की खातेदारी में केवल अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पाबूराम ने खसरा संख्या 233/2 में 1/3 हिस्से का प्रतिवादी सं. 8 व 9 को तथा खसरा संख्या 36 व 42 में 1/6 हिस्से का प्रतिवादी सं. 5 से 7 को बेचान कर दिया। इस प्रकार वादी बावजूद हकों के खातेदारी से महरूम हो गये। अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में अपने वारिसाना हकानुसार खातेदारी घोषित करवाने, अपने हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किये गये बेचानों को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने तथा अपने हिस्सानुसार कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वाबजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 1 से 10 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से गवाह वालाराम पी. डब्ल्यु–1, पुरखाराम पी.ड़ब्ल्यु –02, रावती पी.डब्ल्यु–03, मूलाराम पी.डब्ल्यु–04 एवं घेवरचंद पी.डब्ल्यू–05 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दियां EXP-01 से EXP-03 एवं मिसल बन्दोबस्त EXP-04 से EXP-05 प्रस्तुत किये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील वादीगण ने निवेदन किया कि मुतवफी नारणाराम, जो कि वक्त बन्दोबस्त ग्राम महादेवनगर के खसरा संख्या 233/2 का इकलौता खातेदार था तथा ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 36 व 42 में उसका 1/2 हिस्सा था। जाति से कुम्हार होने से हिन्दु विधि से शासित था। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार दादा की सम्पति में पौत्र–पौत्रियों का अपने पिता के साथ जन्मतः बहिस्सा बराबर हक होता है। चूंकि नारणा के तीन पुत्र– वादीगण के पिता पाबूराम, प्रतिवादी सं. 2 धनाराम एवं प्रतिवादी सं. 3 वेलाराम– थे। अतः वादी खसरा संख्या 233/2 में अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से एवं पृथक–पृथक 1/27–1/27 हिस्से तथा खसरा संख्या 36 व 42 में संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से एवं पृथक–पृथक 1/54–1/54 हिस्से पर हक रखते है। अतः प्रतिवादी सं. 1 द्वारा खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

233/2 में 1/27 हिस्से से अधिक तथा खसरा संख्या 36 व 42 में 1/54 हिस्से से अधिक भूमि का किया गया बेचान वादीगण के हकों की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है। प्रत्येक वादी खसरा संख्या 233/2 में अपना 1/27–1/227 हिस्सा एवं खसरा संख्या 36 व 42 में अपना 1/54–1/54 हिस्सा घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने हिस्सानुसार कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

हमनें वकील वादी की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। वादग्रस्त भूमि के बन्दोबस्त रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वक्त बन्दोबस्त वादीगण के पितामह नारणा के नाम दर्ज हुई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी मृत निर्वसीयती की सम्पति का अन्तरण उसी विधि के अनुसार होगा, जिसके कि वह वक्त मृत्यु अध्यधीन था। नारणा जाति से कुम्हार होने से हिन्दु विधि से शासित था। उसके तीन पुत्र– वेहना,धना और पाबू– थे। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावद्यानुसार पाबूराम के साथ उसके जाइन्दा पुत्र–पुत्रियों का संयुक्त रूप से नारणा की सम्पति में 1/3 हिस्सा तथा पृथक–पृथक 1/27–1/27 हिस्सा है। इस प्रकार पाबूराम मौजा महादेवनगर की खसरा संख्या 233/2 रकबा 1.01 बीघा भूमि में केवल 1/27 हिस्सा बेचने की तथा ग्राम ढण्ढ की खसरा संख्या 36 व 42 कुल रकबा 37.01 बीघा भूमि के 1/54 हिस्सा बेचने की अधिकारिता रखता था। उसके द्वारा इससे अधिक भूमि का किया गया बैचान वादीगण के हितों की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी है। क्रेताग्रण खसरा सख्या 233/2 में 1/27 हिस्से एवं खसरा सख्या 36 व 42 में 1/54 हिस्से से अधिक भूमि की खातेदारी की पात्रता नहीं रखते। इस प्रकार प्रत्येक वादी खसरा संख्या 233/2 में अपना 1/27–1/27 हिस्सा तथा खसरा 36 व 42 में 1/54–1/54 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम महादेवनगर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 233/2 रकबा 1.01 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 2, 8 व 9 एवं प्रतिवादी सं. 3 के कायम मुकाम के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 की, 1/27 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 के प्रत्येक कायम मुकाम की, 1/54–1/54 हिस्सा प्रतिवादी सं. 8 व 9 प्रत्येक की, 1/27–1/27 हिस्सा प्रत्येक वादीगण की खातेदारी घोषित किया जाता है। इसी तरह ग्राम ढण्ढ तहसील सिणधरी की खसरा सं. 36 व 42 कुल रकबा 37.01 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 4 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 के प्रत्येक कायम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

मुकाम का 1/42–1/42 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा यथावत रखते हुए 1/162–1/162 हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 से 7 प्रत्येक की एवं 1/54–1/54 हिस्सा प्रत्येक वादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा ग्राम महादेवनगर की खसरा संख्या 233/2 में प्रतिवादी सं. 8 व 9 को तथा ग्राम ढण्ढ के खसरा सं. 36 व 42 में प्रतिवादी सं. 5 से 7 को अपने वास्तविक हिस्सक से अधिक किये गये बेचानों को शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:10:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner